झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 13.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अमित कुमार मण्डल स०वि०स० श्री रणधीर कुमार सिंह स०वि०स०	गोड्डा जिलान्तर्गत क्रमशः प्रखंड- गोड्डा के पंचायत निपनियाँ, ग्राम- सुन्दरमोड़ अन्तर्गत टोला लीलाटीकर पंचायत मारखन ग्राम- मारखन अन्तर्गत कैथाटिकर-पथवारा, ग्राम- सुन्दरमोड़ अन्तर्गत खैरवा टोला, प्रखंड- वसंतराय अन्तर्गत पंचायत- केवा के ऐचामोड़, पंचायत बाघाकोल के बाँसरवोरिया, पंचायत- सांचपुर के ग्राम- सौंखी के किताकिदवा प्रखंड- पथरगामा के रिपुटोला- पडुआ एवं वन्दनवार के भुवन्सी टोला के ग्रामीणों को गाँव तक जाने के लिए किसी भी तरह का कच्ची सड़क तक नहीं है। आज भी इन गाँवों के ग्रामीण खेत के पगडंडी के सहारे आजादी के पूर्व से चलते आ रहे है। अतः सरकार से माँग करता हूँ कि गोड्डा जिले समेत राज्य के सभी सड़कविहीन गाँवों को चिन्हित करते हुऐ गाँव तक जाने के लिए नीतिगत निर्णय लेकर भूमि अधिग्रहण कर सड़क का निर्माण की माँग सदन से करते हैं।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी

01.	02.	03.	04.
02-	श्री बंधु तिर्की स0वि0स0	पुलिस द्वारा 2 अप्रैल 2018 को अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास नगड़ा टोली, विज्ञान परिसर में घुस कर पुरूष पुलिस कर्मियों द्वारा निर्दोष छात्राओं पर बेरहमी से लाठी चार्ज करते हुए मार-पीट किया गया एवं काण्ड सं0- 0121/18 द्वारा सुखाली टुडू, सुमति कुमारी, रूपा कुमारी एवं संजय महली को अभियुक्त बना दिया गया, गाँव से आयी छात्राएँ मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। अतः अनुसूचित जनजाति के छात्राओं में दर्ज मुकदमा वापस लेने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
03	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह स0वि0स0	बोकारो जिला के पेटरवार प्रखण्ड के पिछरी में दिनांक- 02.03.2014 को अभियंत्रण महाविद्यालय का शिलान्यास राज्य मंत्रिमण्डल के निर्णय के पश्चात् तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, लेकिन राज्य की पिछली सरकार द्वारा कैबिनेट के निर्णय को दरकिनार करते हुए अभियंत्रण महाविद्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया जो स्थानीय आवश्यकताओं और जन भावनाओं के प्रतिकूल है। पिछरी में अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध है एवं यह स्थान अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए सभी अहर्तायें पूरी करता है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं माँग करता हूँ कि राज्य मंत्रिमण्डल के 2014 के निर्णयानुसार उक्त स्थल पर ही अभियंत्रण महाविद्यालय खोला जाय।	उच्च, तकनीकि शिक्षा एवं कौशल विकास
04-	श्री वैद्यनाथ राम स0वि0स0	गढ़वा जिलान्तर्गत गढ़वा प्रखण्ड में कुल 22 पंचायत है जिसकी आबादी 2 लाख से अधिक है। दूर-दराज के ग्रामीण जनता को गढ़वा प्रखण्ड मुख्यालय में आकर अपने कार्य को संपादित कराना-	ग्रामीण विकास

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		काफी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार इसी जिले के अन्तर्गत मेराल प्रखण्ड में कुल 20 पंचायत है जिनकी आबादी 1.75 लाख से अधिक है। इस प्रखण्ड के भी दूर दराज के ग्रामीणों को मेराल प्रखण्ड मुख्यालय में आकर अपने कार्य को संपादित कराने में काफी कठिनाई होती है। अतएव गढ़वा प्रखण्ड के रंकाबोलिया, करूवातालाब, पीपरा, परीहारा एवं तिलदाग पंचायत को मिलाकर डुमरिया को प्रखण्ड बनाने एवं मेराल प्रखण्ड के अरंगी, ओखरगाडा पूर्वी, ओखरगाड़ा पश्चिमी, खोरीडीह, चेचरिया एवं विकटाम पंचायत को मिलाकर ओखरगाड़ा को प्रखण्ड बनाने के लिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ।	
05	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0	रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखण्ड अन्तर्गत भवानीनगर भुरकुण्डा स्थित प्रसिद्ध आई0ए0जी0 ग्लास फैक्ट्री अचानक प्रबंधन द्वारा 2004 में बंद कर देने के कारण 1300 स्थाई मजदूर भूखमरी एवं बीमारी से ग्रस्त होकर मौत के शिकार हो रहे है। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई बीच में ही बंद हो गयी है, जिसके कारण उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत् उक्त बंद ग्लास फैक्ट्री को चालू करवाने की कार्रवाई की जाय ताकि बेरोजगार हुए मजदूरों को रोजगार मिल सके और उनके बच्चों को समुचित स्वास्थ्य शिक्षा भी मुहैया कराया जा सके।	उद्योग

रॉंची,
दिनांक– 13 मार्च, 2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-...1011.../वि0 स0, राँची, दिनांक-12/03/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-...1011.../वि0 स0, राँची, दिनांक-12/03/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-